82

संख्याः-1775/XVIII(II)/2011–1(3)/2011

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 9 सितम्बर, 2011

विषयः–आर0वी0 आकाश गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, नई दिल्ली को ग्राम सालियर साल्हापुर, ज0 मु0, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में, सोलर सी0वी0 सिस्टम/सोलर पॉवर प्लान्ट की स्थापना हेतु 1.248 है0 अतिरिक्त भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–4059/पी0ए0–भूमि क्रय/2011, दिनांक–28.6.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, आर0वी0 आकाश गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, नई दिल्ली को ग्राम सालियर साल्हापुर, ज0 मु0, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में, सोलर सी0वी0 सिस्टम/सोलर पॉवर प्लान्ट की स्थापना हेतु 1.248 है0 अतिरिक्त भूमि क्रय की अनुमति, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 (2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, औद्योगिक विकास विभाग/ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (सोलर सी0वी0 सिस्टम/सोलर पॉवर प्लान्ट की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी

.....2

अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग यदि औद्यानिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये नियमों/मानको के अनुसार, औद्योगिक प्रयोजन हेतु, फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– ईकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व, विभिन्न विभागों से वांछित अनुज्ञा, अनापत्ति/सहमति यथा–ऊर्जा विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, जिला प्रशासन तथा राज्य व केन्द्रीय कानूनों के तहत, अपेक्षित स्वीकृतियां स्वंय प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

9– ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में, उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– ईकाई को प्रस्तावित योजना के संबंध में अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा विभाग से संस्तुति प्राप्त करनी होगी।

11– ईकाई को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नही होगा।

12– किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

15– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

16– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

.....3

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में,जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–1775 /समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– श्री अभिषेक कौशिक, पुत्र श्री वी0बी0 शर्मा, निवासी एफ0–7, कृष्णा अपार्टमेन्ट, पुरूषोत्तम विहार, कनखल, जिला हरिद्वार।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
7– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।